(1)

2

माननीय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- - - -

निगरानी-3668/2018/टीकमगढ़/[illegible]

प्र०क्र०/

श्री एम. पी. भटनागर
द्वारा आज दि. 14-6-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 21-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 14-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

Filed by
M P Bhatnagar Adv
14/6/2018

जगनी यादव तनय श्री बल्दू यादव निवासी

लखौरा तह.वजिला टीकमगढ़ म.प्र.

..पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1.श्रीराम यादव तनय नुइयां यादव

2.करन तनय नुइयां यादव

3.काशीराम तनय नुइयां यादव समस्त निवासी

लखौरा तह.जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..अनावेदक

पुनरीक्षण प्रस्तुत न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र०क्र० 264/अपील /17-18 मे पारित आदेश दिनांक 11/6/2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.

- - - -

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यह कि अनुविभविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के न्यायालयीन प्र०क्र० 181/बी 121/17-18 मे पारित आदेश दिनांक 1/6/2018 के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध धारा 250 का म.प्र.भू.रा.सं.के अंतर्गत सिविल कारागार मे निरुद्ध करने का आदेश दिया गया था जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है उक्त आदेश अवैधानिक था क्योंकि धारा250 ❚ आकर्षित नही होती इस कारण उक्त अपील न्यायालय कलेक्टर ❚ टीकमगढ़ के प्र०क्र० 264/17-18 प्रस्तुत की गई थी स्थगन चाहा गया था स्थगन के आधार अपीलार्थी ने अपने आवेदन धारा 52 म.प्र. भू.रा.सं.1959 मे निम्नानुसार बताए थे।

1. यह कि धारा 250 मे सर्वप्रथम यदि देखाजाता है कि अपीलार्थी किस तरीके से कब्जे मे आए है उन्होने क्या अनावेदको को विधि के विरुद्ध असम्यक अनुक्रम मे बे कब्जा किया है तब वर्ष 1963-64 से अपीलार्थी द्वारा ❚ /पुनरीक्षणकर्ता ख.न.1125 एव 1126 काबिज है उसमे मा० कलेक्टर टीकमगढ़ के यहां प्रश्नाधीन भूमि को गौचर से बंजर कराया था जिसकी प्रति संलग्न की जारही है और जैसे ही भूमि दिनांक1/10/91 को गौचर [illegible] ने उक्त भूमि का पट्टा अपने नाम करा लिया और

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3668/2018/टीकमगढ़/भू.रा. जगनी विरूद्ध श्री राम यादव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-06-2018	आवेदक की ओर से श्री एम.पी. भटनागर, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 11-06-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार प्रतिवेदन 15-02-2018 का अवलोकन किया गया तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उनके न्यायालय द्वारा पारित आदेश आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया है और न ही अनावेदक द्वारा कोई स्थगन आदेश पेश किया गया है उपरोक्त आधार पर अनावेदक के विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही किया जाना उचित है । अतएव अनावेदक जगनी तनय बल्दु यादव को सिविल कारागार में निरूद्ध करने का आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिया जाना उचित है । अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । सदस्य	